डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी. जी.

पंजी क्रमांक छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ. रायपुर/17/2001.

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 फरवरी 2002—माघ 19, शक 1923

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2002

क्रमांक 136/31/2002/1-8.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 488/1675/साप्रवि/2001, दिनांक 12-7-2001 के अनुक्रम में, श्री डी. एस. राजपाल, भापुसे, स्थानापन्न अपर सचिव, गृह विभाग का पदनाम विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग परिवर्तित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2002

क्रमांक 158/89/2002/1/2.—श्री एस. पी. त्रिवेदी, भा. प्र. से. (1983) विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्य के साथ-साथ विशेष सचिव, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, वाणिज्यिक कर विभाग का अतिरिक्त कार्य आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2002

क्रमांक 170/197/2002/1/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को, जो वर्तमान में उनके नाम के समक्ष कालम-3 पर दर्शाये गये पदों पर कार्यरत हैं, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शाये कालम नं. 4 में उल्लेखित पदों पर पंदस्थ किया जाता है :—

क्रमांक (1)	नाम अधिकारी (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्रीमती मनिंदर कौर द्विवेदी भा.प्र.से. (1995).	उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुंद.
2.	श्री आनंद बाबू भा. व. से.	उप वन संरक्षक कार्यालय पी.सी.सी.एफ., रायपुर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जशपुर.
3.	श्री एम. एस. परस्ते रा. प्र. से. (1983)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुंद	अपर कलेक्टर, जिला दंतेवाड़ा मुख्यालय बीजापुर.
4.	श्री सखाराम रा. प्र. से. (1984)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जशपुर	अपर कलेक्टर, जिला सरगुजा मुख्यालय बलरामपुर

2. सरल क्रमांक-1 श्रीमती मनिंदर कौर द्विवेदी की सेवाएं तथा सरल क्रमांक-2 श्री आंनद बाबू की सेवाएं वन विभाग से ली जाकर उनकी पदस्थापना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, के पद पर की जाती है.

3. सरल क्रमांक-3 और 4 की सेवाएं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से वापस ली जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंदिरा मिश्रा, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2001

क्रमांक 1735/साप्रवि/2001/2/लीव.—श्रीमती ऋचा शर्मा, कलेक्टर बस्तर को दिनांक 24-12-2001 से 8-1-2002 (16 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 23-12-2001 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्रीमती ऋचा शर्मा की छुट्टी की अवधि में श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जगदलपुर को अपने कर्त्तव्यों के साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, बस्तर का चालू कार्यभार संभालने के लिए भी नियुक्त किया जाता है.

3. अवकाश से लौटने पर श्रीमती ऋचा शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, बस्तर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. श्रीमती शर्मा द्वारा कलेक्टर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सुबोध कुमार सिंह कलेक्टर, बस्तर के कार्यभार से मुक्त होंगे.

5. अवकाश काल में श्रीमती शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश के पूर्व मिलता था.

6. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शर्मा अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करते रहती.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभा चौधरी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2002

क्रमांक 180/2002/1-8/स्था.—श्री आर. एम. वर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन एवं ऊर्जा विभाग को दिनांक 5-2-2001 से 8-2-2001 तक 4 दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 9-2-2001 से 4-6-2001 तक 116 दिन लघुकृत अवकाश तथा दिनांक 10-9-2001 से 14-9-2001 तक 5 दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही दिनांक 4-2-2001, 5 एवं 6-6-2001 तथा दिनांक 8, 9, 15 एवं 16-9-2001 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश काल में श्री वर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

3. प्रमाणित किया जाता है कि श्री वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्टीफन खलखो, उप-सचिव.

आवास, पर्यावरण, नगरीय प्रशासन व विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2002

क्रमांक 42/स/आपर्यानप्रविवि/2002.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (23 सन् 1973) की धारा 24 (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित विशेष क्षेत्र में, राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि को, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 प्रभावशील करने की तिथि निश्चित करती है :—

क्रमांक (1)	नाम (2)	क्षेत्र (3)
1.	राजधानी क्षेत्र	शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 10/स/आ. प.2002, दिनांक 8 जनवरी 2002 में दर्शित सीमाएं.

Raipur, the 30th January 2002

No. 42/H & E/2002.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 24 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the State Government is pleased to appoint the date of publication of this notification in the Gazette as the date from which the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Rules, 1984 shall apply to the following Special Area, namely :—

S.No. (1)	Name (2)	Area (3)
1.	Capital Area	Within the limits of Special Area as defined vide Notification No. 10/H. E.D./2002, dated 8th January, 2002.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढॉड, सचिव.

जेल विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2001

क्रमांक F-3/34/J/2001.—कारागार अधिनियम, 1894 (क्र. 9 सन् 1894) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ कारागार नियम, 1968 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में 7 से 21 में शब्द "लोक निर्माण विभाग" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवाएं तथा अन्य शासकीय निर्माण अभिकरण" स्थापित किया जाए.

Raipur, the 19th December 2001

No. F-3/34/J/2001.—In exercise of the powers conferred by the Section 59 of the Prisons Act, 1894 (No. IX of 1894), the State Government hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Prisons Rules, 1968, namely :—

AMENDMENT

In the said Rule 7 to 21 for the word "Public Works Department" wherever they occur the words " Public Works Department, Rural Engineering Services and other Government Construction Agencies" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, प्रमुख सचिव.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2001

क्रमांक 5470/4531/2001/स्वा.—मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 37 (2) के प्रावधानों के तहत, राज्य शासन , एतद्द्वारा संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़ रायपुर को राज्य के समस्त मनोचिकित्सालयों के निरीक्षण के उद्देश्य से पदेन विजिटर (Ex-officio-visitor) घोषित करता है.

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2002

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक 61/298/2000/स्वा.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2794/298/2000/स्वा. दिनांक 25-6-2001 में शब्द "छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि" के स्थान पर शब्द "राजीव जीवन रेखा कोष" स्थापित किए जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. आर. टोण्डर, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2002

क्रमांक 62/298/2000/स्वा.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 61/298/2000/स्वा., दिनांक 4 जनवरी 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. आर. टोण्डर, अवर सचिव.

Raipur, the 4th January 2002

AMENDED NOTIFICATION

No. 61/298/2000/H.—In this Department Notification No. 2794/298/2000/Health dated 25-6-2001 for the words" Chhattisgarh Rajya Bimari Sahayata Nidhi" the words "Rajeev Jeevan Rekha Kosh" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
N. R. TONDAR, Under Secretary.

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2001

विषय :—राज्य शासन की जल संसाधन विकास नीति.

क्रमांक 3970/2/ज.सं./त.शा./2001/डी-4.--राज्य शासन एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से छत्तीसगढ़ राज्य की "जल संसाधन

विकास नीति'' निम्नानुसार घोषित करता है :—

I. प्रस्तावना :—

जल, छत्तीसगढ़ राज्य का बहुमूल्य संसाधन है. प्रदेश की लगभग 80% आबादी कृषि तथा कृषि आधारित गतिविधियों पर अपनी जीविका के लिये निर्भर है. प्रदेश में कृषि भी अधिकांशत: वर्षा पर आश्रित है. अत: राज्य के विकास हेतु जल संपदा का प्रभावी तथा दक्ष (Efficient) दोहन आवश्यक है. यद्यपि छत्तीसगढ़ राज्य में जल संपदा का अथाह भंडार है, परंतु इसका समुचित दोहन अभी नहीं हुआ है. पिछले अनेक वर्षों से वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण न केवल अपूर्ण सिंचाई योजनाओं को पूर्ण नहीं किया जा सका बल्कि पूर्ण योजनाओं के संधारण हेतु भी प्रभावी व्यवस्था नहीं की जा सकी है. 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के गठन ने प्रदेश में जल संसाधनों के सुनियोजित विकास हेतु एक अवसर प्रदान किया है. प्रदेश के आर्थिक विकास में जल संसाधनों के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुये एक प्रभावी एवं व्यवहारिक ''जल संसाधन विकास नीति'' अत्यंत आवश्यक है.

II. वर्तमान परिदृश्य :—

छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां 80% से अधिक आबादी कृषि पर आश्रित है. राज्य का लगभग 44% क्षेत्र वनाच्छादित है, तथा आबादी का लगभग 22% आदिवासी है. प्रदेश में वर्ष 2000 की स्थिति में लगभग 13.40 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का निर्माण किया जा चुका है, जबकि वास्तविक सिंचाई लगभग 9.3 लाख हेक्टेयर में ही हो रही है. प्रदेश में निराबोया गया क्षेत्र 58.30 लाख हेक्टेयर है, तथा निर्मित सिंचाई का प्रतिशत 23% है जो कि राष्ट्रीय औसत 38% से काफी कम है. एक अनुमान के अनुसार प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों के आधार पर कुल लगभग 43 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा प्राप्त हो सकती है, जिससे सिंचाई क्षमता बढ़कर लगभग 75% हो सकती है. इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु वर्तमान दरों पर लगभग रुपये 25 हजार करोड़ का निवेश आवश्यक होगा. वर्तमान में प्रदेश में कुल 3 वृहद परियोजनायें, 30 मध्यम परियोजनायें तथा 1957 लघु योजनायें पूर्ण हैं तथा वर्तमान में 4 वृहद, 9 मध्यम तथा 348 लघु सिंचाई योजनायें निर्माणाधीन हैं. निर्माणाधीन योजनाओं में प्रमुख योजनायें मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना, महानदी परियोजना समूह, जोंक व्यपवर्तन, शिवनाथ व्यपवर्तन, बरनई, कोसारटेडा, सुतियापाट आदि है. प्रदेश की प्रमुख नदियां महानदी, शिवनाथ, हसदेव तथा इन्द्रावती आदि हैं. प्रदेश के विकास में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए जल संसाधनों का विकास ही प्रदेश के विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुंजी है.

III. उद्देश्य :—

जल संसाधनों का विकास प्रमुखत: पेयजल, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. जल संसाधनों के विकास में व्यापक निवेश आवश्यक होता है, किन्तु सामाजिक-आर्थिक कारणों से इस निवेश पर आमदनी (Return) अत्यंत कम होती है. जल संसाधनों के विकास हेतु बांधों के निर्माण से डूब में आने वाले क्षेत्रों का वन भी प्रभावित होता है, तथा ग्रामवासी भी. डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामवासियों का प्रभावी पुनर्वास अत्यंत आवश्यक है. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शासन की ''जल संसाधन विकास नीति'' के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं :—

(i) जल संसाधनों का सुनियोजित विकास इस प्रकार करना, जो पर्यावरण की दृष्टि से (Sustainable) हो.

(ii) सूखा प्रभावित क्षेत्रों तथा वृष्टिछाया क्षेत्रों (Rainshadow Areas) में जल संसाधन के विकास के हर संभव प्रयास, जो तकनीकी दृष्टि से साध्य हो.

(iii) पेयजल, कृषि एवं उद्योग हेतु आवश्यक जल व्यवहारिक दरों पर उपलब्ध कराना, ताकि कम से कम संधारण व्यय की पूर्ति हो सके.

(iv) जल संसाधनों के विकास में आवश्यक वृहद निवेश को देखते हुए निजी निवेश को प्रोत्साहित करना.

(v) जल संसाधनों के विकास एवं संधारण में जल उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करना.

IV. जल संसाधन विकास नीति के अंग :—

जल संसाधन विकास हेतु राज्य शासन की नीति के निम्न प्रमुख अंग हैं :—

1. जल संसाधनों की आयोजना (Water Resources Planning).

2. जल संसाधनों का विकास (Water Resources Development).

3. जल संसाधनों का प्रबंधन (Water Resouices Management).

4 जल दरों का युक्तियुक्तकरण (Rationalization of water Rates)

5 जल संरक्षण (Water Conservation)

4.1 जल संसाधनों की आयोजना (Water Resources Planning)

राज्य की वर्तमान एवं भविष्य के लिये जल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु जल संसाधनों की आयोजना के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा—

(i) राज्य में सतही एवं भू-जल की मात्रा का आंकलन किया जायेगा तथा भू-जल तथा सतही जल की उपलब्धता के आधार पर एक समन्वित "जल संसाधन विकास मास्टर प्लान" तैयार किया जायेगा.

(ii) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वृहद एवं मध्यम परियोजनों की योजना तैयार करते समय पेयजल तथा सिंचाई के अलावा उद्योग तथा विद्युत उत्पादन के लिये जल की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाये.

(iii) जल संसाधनों के उपयोग में राज्य शासन पेयजल तथा कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा.

(iv) लघु सिंचाई योजनाओं की आयोजना के समय कृषकों तथा स्थानीय नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी.

(v) सतही एवं भू-जल के समन्वित उपयोग को प्राथमिकता दी जायेगी तथा उपलब्ध भू-जल का वैधानिक पद्धति से समय-समय पर आंकलन किया जायेगा.

(vi) भू-जल के दोहन को संतुलित बनाये रखने हेतु आवश्यक कानूनी प्रावधान किये जायेंगे.

4.2 जल संसाधनों का विकास (Water Resources Development).

प्रदेश के विकास में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुये राज्य शासन जल संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथ-मिकता देता है. प्रदेश में जल संसाधनों के विकास हेतु निम्नानुसार रणनीति अपनाई जाएगी :—

(i) निर्माणाधीन योजनाओं को उनकी प्रगति के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित कर चरणबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु राशि उपलब्ध कराई जायेगी. इसके लिये राज्य के बजट के अलावा नाबार्ड, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम अथवा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से धनराशि जुटाने का प्रयास किया जायेगा.

(ii) नवीन योजनाओं में लगने वाले व्यापक निवेश को देखते हुए जल संसाधनों के विकास में निजी निवेश का स्वागत किया जायेगा.

(iii) नवीन योजनायें वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इस प्रकार ली जायेंगी, ताकि वे निश्चित समयावधि में पूर्ण की जाकर लाभ देने लगे.

(iv) नवीन योजनायें लेते समय क्षेत्रीय असंतुलन को भी ध्यान में रखा जायेगा.

(v) नवीन योजनाओं को लेते समय विस्थापितों के पुनर्वास एवं पर्यावरण संतुलन को उच्चतम प्राथमिकता दी जायेगी तथा राज्य का पुनर्वास पैकेज आकर्षक बनाया जाएगा. परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित होने वाली भूमि के मुआवजे की राशि के भी शीघ्र भुगतान की व्यवस्था की जायेगी. पुनर्वास तथा पुनर्बसाहट की प्रक्रिया में परियोजना से प्रभावितों की सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता दी जायेगी.

(vi) सूखा प्रभावित क्षेत्रों तथा जल वृष्टि क्षेत्रों में जल संसाधनों के विकास के लिये हर संभव प्रयास किये जायेंगे.

(vii) राज्य शासन ऐसी उद्वहन सिंचाई योजनाओं को प्रोत्साहित करेगा, जिनका रख-रखाव व संधारण का दायित्व लेने हेतु उपभोक्ता सहमत हो.

(viii) अंतर्राज्यीय जल विवादों को यथासंभव बातचीत के जरिये शीघ्रातिशीघ्र सुलझाने का प्रयास किया जायेगा.

4.3 जल संसाधनों का प्रबंधन (Water Resources Management).

निर्मित योजनाओं के समुचित रख-रखाव को पूर्व में अपेक्षित प्राथमिकता नहीं दिये जाने के कारण विशाल भंडार वाले बांधों एवं नहरों की पूर्ण क्षमता का उपयोग संभव नहीं हो सका है. निर्मित योजनाओं के बेहतर संधारण तथा नहरों के विस्तार से कम खर्च में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा प्राप्त की जा सकती है. जल संसाधनों में बेहतर प्रबंधन हेतु राज्य शासन द्वारा :—

(i) बांध, नहरों आदि के सुधार तथा संधारण हेतु वास्तविक आवश्यकता का आंकलन कर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा.

(ii) कृषकों तथा जल उपभोक्ताओं की सिंचाई व्यवस्था के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी.

(iii) औद्योगिक क्षेत्रों में जल वितरण की व्यवस्था तथा प्रबंधन में निजी निवेश का स्वागत किया जायेगा.

(iv) कृषकों को सिंचाई की कुशल व्यवस्था में प्रशिक्षित करने हेतु तथा जल संरक्षण के क्षेत्र में अशासकीय संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा.

(v) निर्मित बांध एवं बड़े निर्माण कार्यों की सुरक्षा हेतु समुचित व्यवस्था की जायेगी.

(vi) बाढ़ नियंत्रण में संचार व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए बांधों एवं नहरों के प्रबंधन में आधुनिक संचार व्यवस्था स्थापित की जाएगी.

4.4 जल दरों का युक्तियुक्तकरण (Rationalization of Water Rates)

जल परियोजनाओं की निर्माण लागत तथा जल को किसी स्थान पर उपलब्ध कराने की लागत काफी अधिक आती है. अत: जल दरों का निर्धारण, जल के संग्रहण में लगने वाली राशि तथा इससे प्राप्त होने वाले लाभ को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिये. इसके लिये निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :—

(i) कृषि तथा उद्योग हेतु जल दरों का युक्तियुक्तकरण इस उद्देश्य से किया जायेगा, ताकि परियोजना पर व्यय की गई राशि की आगामी वर्षों में आंशिक रूप से तथा कम से कम योजना के संधारण हेतु आवश्यक राशि की भी पूर्ति हो सके.

(ii) जल दरों के नियमित रूप से पुनर्निर्धारण की व्यवस्था स्थापित की जायेगी.

4.5 जल संरक्षण (Water Conservation)

जल की सीमित उपलब्धता तथा ऊंची लागत को देखते हुये जल संसाधनों का मितव्ययी उपयोग तथा संरक्षण अत्यंत आवश्यक है. राज्य शासन द्वारा :—

(i) जल संरक्षण हेतु नवीन टेक्नालाजी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा.

(ii) जल संरक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जायेगा.

(iii) जल संरक्षण की आवश्यकता तथा विभिन्न तकनीकों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के सभी प्रयासों को प्रोत्साहित किया जायेगा.

V. कार्य योजना :—

जल संसाधन विकास नीति को क्रियान्वित करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :—

5.1 वैधानिक पहल (Legal Initiatives)

भू-जल के संतुलित दोहन विनियमित करने तथा प्रबंधन में कृषकों की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विद्यमान प्रावधानों में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जायेगा.

5.2 संस्थागत सुधार एवं क्षमता वृद्धि हेतु पहल (Institutional Reforms and Capacity Building)

इसके अंतर्गत निम्न कार्य किये जायेंगे :—

(i) राज्य में जल संसाधनों के विकास की आयोजना तथा विकास के संबंध में मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित "छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मंडल" द्वारा नियमित समीक्षा कर दिशा-निर्देश दिये जायेंगे.

(ii) राज्य जल उपयोगिता समिति, संभागीय जल उपयोगिता समिति तथा जिला जल उपयोगिता समिति के माध्यम से जल के उपयोगों की प्राथमिकता का निर्धारण किया जायेगा.

(iii) जल संसाधन विभाग में वैज्ञानिक पद्धति से डाटा बेस की स्थापना कर डाटा एकत्र किये जायेंगे, ताकि सतही एवं भू-जल संपदा की मात्रा एवं गुणों का सही आंकलन हो सके एवं जल संसाधन की आयोजना में उनका उपयोग किया जा सके.

(iv) जल दरों के निर्धारण एवं नियमित पुनरीक्षण हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा.

(v) निर्मित बड़े बांध एवं बड़े निर्माण कार्यों की सुरक्षा हेतु "बांध सुरक्षा प्रकोष्ठ" का गठन किया जायेगा.

(vi) जल संसाधन विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी. इस प्रकार कृषकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जायेगी. प्रशिक्षण हेतु सुनिश्चित विषयों एवं मापदंड का

निर्धारण किया जायेगा. इसके अंतर्गत परियोजना का आयोजन, क्रियान्वयन, संचालन एवं जल वितरण जैसे विषय भी होंगे.

5.3 सामाजिक जागरूकता

जल की बहुंमूल्यता के प्रति सामाजिक जागरूकता पैदा करने की दिशा में निम्न प्रयास किये जायेंगे :—

(i) जल संसाधनों की व्यवस्था संबंधी निर्णय के पूर्व जल उपभोक्ता विभागों तथा संस्थाओं से परामर्श किया जायेगा.

(ii) जल संरक्षण के प्रति सामाजिक जागरूकता पैदा करने हेतु जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जायेगा. इस कार्य में स्थानीय संस्थाओं तथा समाज सेवी संस्थाओं को भी शामिल किया जायेगा.

VI उपसंहार :—

छत्तीसगढ़ राज्य की जल संसाधन विकास नीति राज्य में पेयजल, कृषि एवं उद्योगों के लिये स्वच्छ पर्यावरण के साथ समुचित जल व्यवहारिक दरों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य पर आधारित है. इसमें वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुये जल संसाधनों की आयोजना, निर्माण, संधारण एवं संचालन के माध्यम से जल उपभोक्ता को आवश्यक जल उपलब्ध कराने की अवधारणा अपनाई गई है, तथा समाज सेवी संस्थाओं एवं निजी क्षेत्र की भूमिका को भी प्रोत्साहित किया गया है. अपेक्षा की जाती है कि राज्य जल संसाधन विकास नीति के क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ में जल संपदा का सर्वांगीण विकास हो सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2002

क्रमांक 290/4229/जसं./2001/लीव.—श्री सी. पी. चौधरी, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग को दिनांक 9-11-2001 से 29-11-2001 तक (21 दिन) तक के लघुकृत अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. श्री चौधरी यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

3. अवकाश अवधि में श्री चौधरी को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश के पूर्व मिलते थे.

4. श्री सी. पी. चौधरी को अवकाश से लौटने पर पुनः मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग में पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एम. वर्मा, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2002

क्रमांक 3 (ए) 3/2002.-इक्कीस-ब/डी-19.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड एक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्‌द्वारा निम्नलिखित मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अति. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारियों को, आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश के पद पर, स्थानापन्न रूप में, कार्य करने के लिये उनके द्वारा जिला न्यायाधीश के पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं और उन्हें उच्च न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर पदस्थ करते हैं :—

1. श्री अशोक कुमार गोयल
2. श्री प्रदीप कुमार दवे
3. श्री अरविंद सिंह चंदेल
4. श्री गौतम चौराड़िया
5. श्री अनिल कुमार गायकवाड़
6. श्री शिवमंगल पांडे
7. श्री रमेश कुमार राठी
8. श्री आनन्द कुमार बैक
9. श्रीमती विमला सिंह कपूर
10. श्री संजय सेन्ड्रे
11. श्री अमृतलाल डाहरिया
12. श्री मनसुख केरकेट्टा
13. श्री नरसिंह उसेन्दी
14. श्री विजय भूषण सिंह
15. श्री जीरोम कुजूर
16. श्री एन्थ्रेस टोप्पो
17. श्री निको डिऑयस एक्का
18. श्री गनपत राव
19. श्री अरूण कुमार प्रधान
20. श्री ब्लासियस टोप्पो

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. जैन, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 दिसम्बर 2001

क्रमांक-क/भू-अर्जन/3/अ -82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बरतुंगा	3.937	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जांजगीर-चांपा.	बरतुंगा जलाशय हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 दिसम्बर 2001

क्रमांक-क/भू-अर्जन/4/अ-82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	देवरघटा	20.655	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जांजगीर-चांपा.	बरतुंगा जलाशय हेतु
		बरतुंगा	10.862		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 दिसम्बर 2001

क्रमांक 22194/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	चांपा प. ह. नं. 2	0.036	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, भ/स चांपा-संभाग, चांपा.	चांपा रेल्वे अंडर ब्रिज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कवर्धा, दिनांक 4 जनवरी 2002

प्र. क. 2 अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कवर्धा	कवर्धा	सुरजपुरा प. ह. नं. 60	8.35	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	राजपुर व्यपवर्तन योजना

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. ठाकुर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/1अ/82 वर्ष 98-99.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बलौदाबाजार	पनगांव प. ह. नं. 57/91	0.363	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक-2, रायपुर.	खोरसी, खपरी, खैन्दा मार्ग हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 14 दिसम्बर 2001

रा. प्र. क्रमांक/1/अ- 82/2001-2002.——चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	पाल	तातापानी	4.29	मुख्य अभियंता, एन. एच. पी. सी. एल. भारत सरकार.	जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 दिसम्बर 2001

क्रमांक/2/02/2001-2002.——चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	पाल	रामानुजगंज	0.07 1/2	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) संभाग, क्र. 2, अंबिकापुर.	रामानुजगंज वाड्रफनगर रोड निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2001

क्रमांक 1/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	मुरमुर	2.80	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	घाघरा जलाशय, शीर्ष कार्य एवं डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2001

क्रमांक 2/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	घाघरा	5.40	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	घाघरा जलाशय, शीर्ष कार्य एवं डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2001

क्रमांक 3/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	आमाडांड	2.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	घाघरा जलाशय, नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2001

क्रमांक 4/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	घाघरा	0.55	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	घाघरा जलाशय, नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2001

क्रमांक 5/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	आमाडांड	97.48	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	जलाशय, शीर्ष कार्य एवं डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2001

क्रमांक 6/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	पड़रिया	10.91	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग पेण्ड्रारोड.	घाघरा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड, के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 जनवरी 2002

क्रमांक प्र. क्र. 7 अ 82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	पुटा	5.55	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मुख्यालय पेण्ड्रारोड	पुटा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड, के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 जनवरी 2002

क्रमांक 8 अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	पतगंवा	18.64	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मरवाही, मुख्यालय पेण्ड्रारोड	अपरखुज्जी जलाशय का शीर्ष कार्य एवं डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड, के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 जनवरी 2002

क्रमांक 9अ 82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	नगवाही	11.52	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मरवाही, मुख्यालय पेण्ड्रारोड.	अपरखुज्जी जलाशय का नहर कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड, के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2001

क्रमांक 92/सा-1/सात .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-लखाली, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.013 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
59/5	0.045
59/2	0.004
59/4	0.073
61/2 क	0.057
60/3	0.024
360/26	0.012
60/2	0.020
61/3	0.040
60/1	0.008
70/1	0.012
61/1	0.045
62	
63	0.045
64/2	0.040
64/3	0.020
370/3	0.008
64/5	0.036
370/6	0.008
99/1	0.008
100/3	0.049
101/2	0.028
101/4	0.020
370/10	0.036
370/14	0.024
371/1	0.053
371/10	0.093
371/11	0.016
370/5	0.008
370/25	0.016
370/4	0.036
370/8	0.129
योग 30	1.013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-लखाली माइनर नं. 11 (लखाली डि. ब्यू. के अंतर्गत).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2001

क्रमांक 93 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-सरवानी, प. ह. नं. 111
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.732 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
8/1	0.182
8/2	0.121
7	0.162
10/1	0.024
9	0.134
10/2	
13/2	0.065
13/1	0.069
54	0.125
55/1	0.142
52	0.008
53/1	0.170
43/4	0.089
89/5	
51	0.372
89/4	0.061
62/2	0.008
योग 14	1.732

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सरवानी माइनर निर्माण .

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2001

क्रमांक 94 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-लखाली, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.306 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
668	0.032
662	0.097
673	0.073
674	0.065
660/1	0.053
661/3	0.008
660/2	0.016
660/3	0.045
675/2	0.073
677/4	0.008
676/3	0.061
677/1	0.081
676/2	0.073
676/1	0.085
677/5	0.016
701/8	0.012
701/2	0.008
701/4	0.040
701/7	0.081
701/10	0.194
677/3	0.016
701/1	0.040
701/3	0.012
701/6	0.117
योग 24	1.306

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-लखाली माइनर नं. 13 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2001

क्रमांक 95 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-चोरिया, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.097 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
551/2 551/5	0.065
551/1	0.032
योग 2	0.097

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सरवानी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2001

क्रमांक 96 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-चांपा

(ग) नगर/ग्राम-रोहदा, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.189 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3/1	0.036
6/1, 7/1	0.053
8/2	0.024
9	0.045
217/9	0.004
217/8	0.012
217/7	0.028
217/6	0.028
217/5	0.040
217/4	0.045
217/3	0.036
217/2	0.032
217/1	0.040
173	0.097
174	0.028
172/2	0.069
172/1	0.069
171	0.004
169	0.065
170	0.016
168/5	0.016
168/4	0.052
168/3	0.008
165/1, 166/1	0.101
163/2, 163/1	0.097
160/2	0.024
160/1	0.036
119/5	0.004
1229, 1213	0.040
1228/4	0.004
1230	0.036
योग 31	1.189

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रोहदा डिस्ट्री-ब्युटरी निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2001

क्रमांक 97 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-चांपा

(ग) नगर/ग्राम-जाटा, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.199 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
523/1	0.036

(1)	(2)
519/2	0.045
524	0.093
518	0.053
517	0.129
492/1	0.081
492/3	0.061
495	0.057
482/1	0.190
496/4	0.028
496/3	0.045
488/1	0.061
479/7	0.049
482/2	0.097
482/3	0.024
485/2	0.073
485/3	0.077
योग 17	1.199

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अमरुवा माइनर नं.2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2001

क्रमांक 98 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-भवरेली, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.129 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
683/1	0.129
योग 1	0.129

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- लखाली डिस्ट्रीब्युटरी निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2001

क्रमांक 99 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-परसापाली, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.049 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
43/1 च	0.049
योग 1	0.049

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-परसापाली डिस्ट्रीब्युटरी निर्माण निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2001

क्रमांक 100 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-कुरदा, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.077 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	22	0.077
योग	1	0.077

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-पुटीकेला उपशाखा निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2001

क्रमांक 101 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-बुढ़नपुर, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.711 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	208/1	0.028
	208/2	0.061
	209/1	0.089
	209/2	0.081
	214	0.158
	215	0.004
	213	0.008
	207/3	0.040
	202/3	0.182
	165	0.032
	167	0.028
योग	11	0.711

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-स्केप चैनल, व्ही. आर. व्ही. एवं हरमेंट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2001

क्रमांक 102 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-जुड़गा, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.840 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
7	0.448

	(1)	(2)
	33/1	0.647
	37/1	0.166
	38/2	0.024
	37/2	0.190
	43/1	0.210
	43/1 क	0.194
	52/3	0.210
	384	0.284
	386	0.415
	387	0.024
	388	0.028
योग	12	2.840

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खरसिया शाखा निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2001

क्रमांक 103 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-गतवा, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.004 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
149	0.004

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गतवा माइनर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2001

क्रमांक 104 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-रसौटा, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.129 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1720	0.129
योग	1	0.129

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रसोटा सबमाइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2001

क्रमांक 105 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जांजगीर

(ग) नगर/ग्राम-छीतापाली, प. ह. नं. 26

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.085 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
71/3	0.016
108	0.069
109	
110/1	
योग 2	0.085

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-छीतापाली माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2001

क्रमांक 106 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जांजगीर

(ग) नगर/ग्राम-खारी, प. ह. नं. 25

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.053 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
224/1	0.049
236/1	0.004
योग 2	0.053

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गतवा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2001

क्रमांक 107 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जांजगीर

(ग) नगर/ग्राम-करमा, प. ह. नं. 25

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.028 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
33	0.008
34/1	
127/1	0.020
योग 2	0.028

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-छीतापाली माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2001

क्रमांक 108 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-करमा, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.075 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
150/1	0.069
151	
152	
153	
154	
157	
215	
207	0.129
209	
211	0.085
158	0.223
159	
160	
214/1	0.214
206/1	0.077
206/2	
231/1	0.057
210	0.097
236	0.125
योग 5	1.075

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-करमा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2001

क्रमांक 109 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-छीतापाली, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.533 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
124/3	0.049
115	0.081
118/5	
126	0.008
261	0.016
314	0.040
127/2	0.057
135/2	
136	
154/1	0.020
156/1	0.061
128/1	0.028
366	0.081
368	
129/2	0.040
131	0.028
134	0.008
259	0.081

(1)	(2)
296/1	0.113
263	0.032
262	0.024
264/1	0.008
317	0.032
361	0.012
429	0.020
291	0.008
296/2	0.040
313	0.012
315	0.081
316	0.093
365	0.020
384	0.065
140	0.202
148	
260	0.004
318	0.012
319	
362	0.036
363/2	0.121
363/3	
योग 33	1.533

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है छीतापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कवर्धा, दिनांक 4 जनवरी 2001

प्र. क्र./6-अ/82/2000-2001—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कवर्धा
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-कोटरा बुन्देली, प. ह. नं. 53
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-71.58 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
281/2	0.28
296/1	0.75
296/3	0.62
283/1	1.15
281/3	0.32
296/2	0.75
296/4	0.61
285/3	1.40
318/1	0.15
286/3	0.70
292/2	0.23
313/2	0.13
286/1	1.26
287/3	1.42
323/11	0.07
287/3	1.43
323/2	0.07
276	0.51
288	8.27
289	2.29
321	0.08
290/1	0.96
290/2	0.96
290/3	0.96
311/1	0.94
322	0.15
311/2	0.88
311/3	0.85

(1)	(2)
311/4	1.32
291	1.47
295/1	2.24
295/2	2.23
293	0.46
314	0.26
294/1	0.52
319/1	0.07
324/1	0.16
319/2	0.07
294/2	1.04
294/3	0.52
310	2.96
309/1	0.42
309/7	1.20
309/2	0.42
309/6	1.16
309/8	0.21
309/3	1.32
309/11	0.35
446/2	0.75
446/1	0.20
309/4	1.16
309/9	0.21
446/3	0.50
309/5	1.16
309/10	0.35
312	0.20
308/1	0.67
308/7	1.80
308/8	0.79
308/2	0.64
433/13	1.44
308/3	0.69
433/14	1.50
308/4	0.68
308/5	1.17
433/15	1.46
308/6	1.90
316	0.11
317	0.10
318/2	0.15
320	0.30
324/2	0.16
438/2	1.16
438/1	0.37
438/6	0.33
438/10	0.76
438/8	0.82
438/5	0.06
438/7	0.33
438/9	0.82
438/11	0.75
439	0.44
286/2	0.70
292/1	0.23
313/1	0.13
योग	71.58

(2) सार्वजनकि प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-झिपनिया जलाशय योजना.

(3) भूमि के नक्शा, (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. ठाकुर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 1287/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-दुर्ग
- (ग) नगर/ग्राम-झोला, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.03 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
656	0.01
620/1	0.02
योग	0.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सोमनी अर्जुन्दा नदी पुल में पहुंच मार्ग.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कार्यालय दुर्ग में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 1288/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-दुर्ग
- (ग) नगर/ग्राम-तिरगा, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.03 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
141	0.02
142	0.01
142	
योग	0.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सोमनी अर्जुन्दा नदी पुल में पहुंच मार्ग.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कार्यालय दुर्ग में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 1289/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-दुर्ग
- (ग) नगर/ग्राम-सिकोला, प. ह.नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.286 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
255/6	0.122
199/1, 2	0.164
योग	0.286

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—दुर्ग बायपास राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 6 के लिये.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कार्यालय दुर्ग में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केसरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 16 जनवरी 2002

प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मस्तुरी
(ग) नगर/ग्राम-रांक
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.697 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
204/4	0.117
245/4	0.040
247/5	0.008
732	0.081
1338	0.012
1343/2	0.065
1379/2	0.162
1379/3	0.162
1391/2	0.348
1440/2	0.053
1512/2	0.057
1537/3	0.040
1674/2	0.093
1674/3	0.093
1674/4	0.053
1699/2	0.045
1735/11	0.101
1756	0.028
1763	0.053
1765/1	0.004
1891/7	0.154
1891/9	0.121
1891/14	0.045
1891/15	0.045
1891/35	0.053
1891/45	0.304
2262/1	0.125
2262/2	0.235
योग	2.697

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 11 जुलाई 2001

क्रमांक 11819/प्र. कले./2001.—म. प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के पत्र क्रमांक 17 ई-40/99/2/ (ब) दो भोपाल, दिनांक 8-4-99 में दिये गये निर्देशों के तहत धर्म, कर्म कराने वाले पास्टर श्री मनोहर सोना वल्द अर्जुन सोना गौतम नगर पो. आ. खुर्सीपार जोन 1, भिलाई जिला दुर्ग न्यू अपोस्टोलिक चर्च को विवाह अनुष्ठापित कराने और भारतीय क्रिश्चियन (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु दुर्ग जिले के लिये अनुज्ञप्ति मंजूर किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 3 दिसम्बर 2001

क्रमांक 801/प्र. कले./2001.—म. प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के पत्र क्रमांक 17/ई-40/99/ 2 (ब) दो भोपाल, दिनांक 8-4-99 में दिये गये निर्देशों के तहत धर्म, कर्म कराने वाले पास्टर श्री मल्लिकार्जुन राव आ. श्री के. कोन्डैया निवासी क्वा. नंबर 92/डी एल. सी. केम्प 1 भिलाई, इमेनजिलिकल क्रिश्चियन चर्च आफ इन्डिया केम्प 1 को विवाह अनुष्ठापित कराने और भारतीय क्रिश्चियन (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु दुर्ग जिले के लिये अनुज्ञप्ति मंजूर किया जाता है.

आई. सी. पी. केसरी,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 नवंबर 2001

क्रमांक क/ख.लि./2001.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश गौण खनिज नियमावली, 1996 के नियम 12 के अन्तर्गत चूनापत्थर खनिज के लिए सूची में दर्शाये अनुसार क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के 30 (तीस) दिन के पश्चात् आवंटन के लिए उपलब्ध रहेगा. आवेदन-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् व आवेदित क्षेत्र चूनापत्थर खनिज का रासायनिक विश्लेषण संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग द्वारा कराया जावेगा और विधिवत् लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा.

स.क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	प.ह.नं. (3)	तहसील (4)	खसरा नंबर (5)	रकबा (6)	अन्य विवरण (7)
1.	दोंदेकला	95	रायपुर	183/1	2.96 एकड़	निजी लीज निरस्त होने से
2.	भसेरा	5	राजिम	456, 457	0.36 एकड़	शासकीय लीज अवधि समाप्त होने से.
3.	भसेरा	5	राजिम	456, 457	0.64 एकड़	शासकीय लीज अवधि समाप्त होने से.

जे. मिंज,
अपर कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2002

क्रमांक क/मण्डी निर्वा./125/2001.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि म. प्र. कृषि उपज मण्डी (विधान सभा सदस्य की मण्डी समिति के गठन में सदस्यता) नियम 1975 एवं म. प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 की उप धारा (5) के प्रावधानों के तहत विधान सभा सदस्यों को नीचे दिये तालिका के अनुसार मण्डी समिति में सदस्यता हेतु नामनिर्देशन अधिसूचित किया जाता है :—

क्रमांक (1)	विधान सभा सदस्य का नाम एवं विधान सभा क्षेत्र का नाम (2)	मण्डी समिति का नाम (3)
1.	श्री विधान मिश्रा, विधान सभा क्षेत्र, धरसींवा.	रायपुर
2.	श्री तरूण प्रसाद चटर्जी, विधान सभा क्षेत्र, रायपुर (ग्रामीण).	रायपुर
3.	श्री अमितेश शुक्ल, विधान सभा क्षेत्र, राजिम	राजिम
4.	श्री गौरीशंकर अग्रवाल, विधान सभा क्षेत्र, कसडोल	कसडोल
5.	श्री शिवरतन शर्मा, विधान सभा क्षेत्र, भाटापारा	भाटापारा
6.	डॉ. रामलाल भारद्वाज, विधान सभा क्षेत्र, पलारी	भाटापारा
7.	श्री गणेश शंकर बाजपेयी, विधान सभा क्षेत्र, बलौदाबाजार	भाटापारा
8.	श्री चरण सिंह मांझी, विधान सभा क्षेत्र, बिन्द्रानवागढ़	गरियाबंद
9.	श्री गंगूराम बघेल, विधान सभा क्षेत्र, आरंग	नेवरा
10.	डॉ. हरिदास भारद्वाज, विधान सभा क्षेत्र भटगांव	भटगांव

अमिताभ जैन,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2001

क्रमांक 5501/तीन-6-8/2001.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री प्रवीण कुमार प्रधान, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी दुर्ग, जिला दुर्ग में पदस्थापित है, को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2001

क्रमांक 5503/तीन-6-8/2001.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री मोहम्मद रिजवान खान , व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी दुर्ग, जिला दुर्ग में पदस्थापित है, को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2001

क्रमांक 5505/तीन-6-8/2001.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री आर. के. बर्मन, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी अम्बिकापुर जो जशपुरनगर, जिला रायगढ़ में पदस्थापित है, को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2001

क्रमांक 5507/तीन-6-8/2001.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री थामस एक्का, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी सूरजपुर, जिला सरगुजा स्थान अम्बिकापुर में पदस्थापित है, को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2001

क्रमांक 5509/तीन-6-8/2001.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री डी. एन. भगत, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी सूरजपुर, जिला सरगुजा स्थान अम्बिकापुर में पदस्थापित है, को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2001

क्रमांक 5511/तीन-6-8/2001.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ कु. विनीता लवंग, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी रायगढ़, जिला रायगढ़ में पदस्थापित है, को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2001

क्रमांक 5513/तीन-6-8/2001.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव में पदस्थापित है, को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2001

क्रमांक 5515/तीन-6-8/2001.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री विनोद कुमार देवांगन, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी रायगढ़, जिला रायगढ़ में पदस्थापित है, को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2001

क्रमांक 5517/तीन-6-8/2001.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा (1) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री रामजीवन देवांगन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव को राजस्व जिला राजनांदगांव में पदस्थापित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित अपराधों को संक्षेपत: विचारण हेतु विशेष-तथा सशक्त करता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2001

क्रमांक 5519/तीन-6-8/2001.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा (1) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री सी. के. अजगल्ले, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, दंतेवाड़ा को राजस्व जिला बस्तर स्थान जगदलपुर में पदस्थापित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित अपराधों को संक्षेपत: विचारण हेतु विशेष-तथा सशक्त करता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2001

क्रमांक 5551/तीन-6-8/2001.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री प्रबोध टोप्पो, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी दुर्ग, जिला दुर्ग में पदस्थापित है, को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2001

क्रमांक 5585/तीन-6-8/2001.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्रीमती गीता नेवारे व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी बिलासपुर, जो बिलासपुर जिले में पदस्थापित है, को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2001

क्रमांक 5587/तीन-6-8/2001.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ सुश्री संघरत्ना भतपहरी, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी बिलासपुर, जो बिलासपुर जिले में पदस्थापित है, को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2001

क्रमांक 5589/तीन-6-8/2001.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री मनीष ठाकुर, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी बिलासपुर, जो बिलासपुर जिले में पदस्थापित है, को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2001

क्रमांक 5591/तीन-6-8/2001.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री छमेश्वरलाल पटेल, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी बिलासपुर, जो बिलासपुर जिले में पदस्थापित है, को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है.

Bilaspur, the 20th December 2001

No. 5688/Confdl./II-2-1/2001.—Pursuant to the final allocation of Shri Vijay Kumar Shrivastava, member of the Higher Judicial Service in the State of M.P., to the State of Chhattisgarh *vide* Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training, New Delhi Order No. 1/2001 and letter No. 14/46/2001-S.R. (S) dated 7-12-2001 read with Order No. 770/Confdl../2001 dated 20-12-2001 of the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur, the High Court of Chhattisgarh, in exercise of powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, hereby, posts Shri Vijay Kumar Shrivastava, Presiding Officer, State Transport Appellate Tribunal, Gwalior as District Judge of the Civil District Raipur from the date he assumes charge of his duties;

In exerc e of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints Shri Vijay Kumar Shrivastava, a member of Higher Judicial Service, as Sessions Judge for the Sessions Division Raipur (as Presiding Officer of the Sessions Court) from the date he assumes charge of his duties.

Bilaspur, the 20th December 2001

No. 5690/Confdl./II-2-1/2001.—Pursuant to the final allocation of Shri Yogesh Mathur, member of the Higher Judicial Service in the State of M.P., to the State of Chhattisgarh *vide* Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training, New Delhi Order No. 1/2001 and letter No. 14/46/2001-S.R. (S) dated 7-12-2001 read with Order No. 770/Confdl./2001 dated 20-12-2001 of the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur, the High Court of Chhattisgarh, in exercise of powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, read with powers conferred by Sub-section (1) of Section 8 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958, hereby, posts Shri Yogesh Mathur, I Additional District Judge, Balaghat as Additional District Judge, Sakti District Bilaspur from the date he assumes charge of his duties;

In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints Shri Yogesh Mathur, a member of Higher Judicial Service, as Additional Sessions Judge for the Sessions Division Bilaspur to exercise jurisdiction of the Sessions Court from the date he assumes charge of his duties.

Bilaspur, the 20th December 2001

No. 5692/Confdl./II-3-1/2001.—Pursuant to the final allocation of Shri Gorelal Sonwani and Shri Pradeep Kumar Dave, members of the Lower Judicial Service in the State of M.P., to the State of Chhattisgarh *vide* Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training, New Delhi Order No. 1/2001 and letter No. 14/46/2001-S.R. (S) dated 7-12-2001 read with Order No. 771/Confdl./2001 dated 20-12-2001 of the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur, the High Court of Chhattisgarh, in exercise of powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, read with Sub-section (1) of Section 8 of the M.P. Civil Court Act., 1958, hereby, posts Shri Gorelal Sonwani, Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Mgistrate, Amarwara District Chhindwara as Additional Judge to the Court of I Civil Judge, Class-I and Additional Chief Judicial Magistrate, Durg and Shri Pradeep Kumar Dave, I Civil Judge, Class-I & Chief Judicial Magistrate, Sagar as VI Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate, Raipur from the date they assume charge of their duties;

In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 12 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints Shri Gorelal Sonwani, Civil Judge, Class-I as Additional Chief Judicial Magistrate of Civil District Durg and Shri Pradeep Kumar Dave, Civil Judge, Class-I as Additional Chief Judicial Magistrate of Civil District Raipur from the date they assume charge of their duties.

Bilaspur, the 20th December 2001

No. 5694/Confdl./II-3-1/2001.—Pursuant to the final allocation of Shri K. Vinod Kujur and Shri Dileshwar Singh Rathiya, members of the Lower Judicial Service in the State of M.P., to the State of Chhattisgarh *vide* Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training, New Delhi Order No. 1/2001 and letter No. 14/46/2001-S.R. (S) dated 7-12-2001 read with Order No. 771/Confdl./2001 dated 20-12-2001 of the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur, the High Court of Chhattisgarh, in exercise of powers conferred by Article 235 of the Constitution of India read with Sub-Section (1) of Section 8 of the M.P. Civil Courts Act, 1958, hereby, posts Shri K. Vinod Kujur, Civil Judge, Class-II, Kotma, District Shahdol as I Civil Judge, Class-II, Dhamtari District Raipur and Shri Dileshwar Singh Rathiya, II Civil Judge, Class-II, Balaghat as III Additional Judge to the Court of Civil Judge, Class-II, Surajpur, District Surguja, from the date they assume charge of their duties.

Bilaspur, the 20th December 2001

No. 5696/Confdl./II-3-1/2001.—In exercise of powers conferred by Article 235 of the Constitution of India read with Sub-section (1) of Section 8 of the M.P. Civil Court Act, 1958, the High Court of Chhattisgarh, hereby transfers and posts Shri Nico Dious Ekka, II Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate, Mahasamund District Raipur as II Additional Judge to the Court of I Civil Judge, Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate, Bilaspur, in the same capacity from the date he assumes charge of his duties;

In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 12 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints Nico Dious Ekka, Civil Judge, Class-I as Additional Chief Judicial Magistrate of Civil District Bilaspur from the date he assumes charge of his duties.

Bilaspur, the 3rd January 2002

No. 17/II-2-1/2002.—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the following members of Higher Judicial Service specified in column No. (2) of the table below from the place shown in column No. (3) to the place shown in the column No. (4) and posts them as District Judge of the Civil District mentioned in column No. (6) from the date they assume charge of their duties, viz :—

In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints the following members of Higher Judicial Service as Sessions Judge for the Sessions Division specified against their respective names in column No. (5) of the table below, viz. :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	Session Division (5)	Remarks (6)
1.	Shri Jugal Kishore Singh Rajput.	Bilaspur	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Civil District Rajnandgaon. As District & Sessions Judge *vice* Shri G. C. Bajpai.
2.	Shri Girish Chandra Bajpai.	Rajnandgaon	Ambikapur	Surguja	Civil District Surguja. As District & Sessions Judge *vice* Shri A. K. Nimonkar.
3.	Shri Ram Krishna Behar	Durg	Jagdalpur	Bastar	Civil District Bastar. As District & Sessions Judge *vice* Shri N. S. Rajput.
4.	Shri Ashok Kumar Nimonkar.	Surguja	Raigarh	Raigarh	Civil District Raigarh. As District & Sessions Judge *vice* Smt. Shakuntala Das.
5.	Smt. Shakuntala Das	Raigarh	Bilaspur	Bilaspur	Civil District Bilaspur. As District & Sessions Judge *vice* Shri J.K.S. Rajput.
6.	Shri D. K. Damle	Durg	Durg	Durg	Civil District Durg. As District & Sessions Judge *vice* Shri R. K. Behar.

Bilaspur, the 3rd January 2002

No. 19/II-2-1/2002.—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the following members of Higher Judicial Service specified in column No. (2) of the table below from the place shown in colum No. (3) to the place shown in the column No. (4) and appoints him as Presiding Officer of the Special Court specified in column No. (6) established by the State Government of M. P. *vide* its Notification No. F-1-2-90/XXI-B/1 dated 19-2-97 under Section 14 of the Scheduled Castes & the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 from the date he assumes charge of his duties, viz :—

In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints the following member of Higher Judicial Service as Additional Sessions Judge in the Sessions Division specified against his name in column No. (5) of the table below, viz. :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Remarks (6)
1.	Shri Tankeshwar Prasad Sharma	Baikunthpur	Durg	Durg	Special Court, Durg. As Presiding Officer, Special Court *vice* Shri D. K. Damle.

Bilaspur, the 3rd January 2002

No. 21/II-2-1/2002.—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the following members of Higher Judicial Service specified in column No. (2) of the table below from the place shown in column. No. (3) to the place shown in the column No. (4) and posts them as Additional District Judge as mentioned in column No. (6) from the date they assume charge of their duties, viz :—

In exercise of the powers conferred by Sub-sec..on (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints the following members of Higher Judicial Service as Additional Sessions Judge in the Sessions Division specified against their respective names in column No. (5) oi the table below. viz. :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Remarks (6)
1.	Shri Ambrish Kumar Patel.	Durg	Baikunthpur	Surguja	As Additional District & Sessions Judge *Vice* Shri T. P. Sharma.
2.	Shri K. P. Kurre	Raigarh	Durg	Durg	As II Addl. District & Sessions Judge *Vice* Shri A. K. Patel.
3	Shri M. P. Singhal	Raipur	Durg	Durg	As V Addl. District & Sessions Judge in the Vacant court.
4.	Shri Sharad Kumar Gupta.	Bilaspur	Khairagarh	Rajnandgaon	As Additional District & Sessions Judge *vice* Shri R.C.S. Samant.
5.	Shri R.C.S. Samant	Khairagarh	Bilaspur	Bilaspur	As I Additional District & Sessions Judge *vice* Shri S. K. Gupta.

Bilaspur, the 11th January 2002

No. 263/II-2-1/2002.—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India read with Sub-section (1) of Section 8 and Sub-section (2) of Section 12 of the M.P. Civil Courts Act, 1958, the High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the following Chief Judicial Magistrates /Additional Chief Judicial Magistrates as specified in column No. (2) of the table below, who have been appointed to Officiate as District Judges in Higher Judicial Service temporarily *vide* Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department, Raipur Order No. F 3 (A) 3/2002-XXI-B/D-19 dated 10-1-2002, from the place shown in column No. (3) to the place shown in the column No. (4) and posts them as Additional District Judge as mentioned in column No. (6) from the date they assume charge of their duties, viz :—

In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints the following members of Higher Judicial Service as Additional Sessions Judge in the Sessions Division specified against their respective names in column No. (5) of the table below. viz. :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Remarks (6)
1.	Shri P. K. Dave	Raipur	Baloda Bazar	Raipur	As I Additional District & Sessions Judge in the vacant court.
2.	Shri Arvind Singh Chandel.	Kanker	Durg	Durg	As VI Addl. District & Sessions Judge in the vacant court.
3.	Shri Gautam Chouradia	Raipur	Raipur	Raipur	As VII Addl. District & Sessions Judge in the vacant court.
4.	Shri Anil Kumar Gaikwad	Maha-samund	Ambikapur	Surguja	As II Addl. District & Session Judge in the vacant court.
5.	Shri Shiv Mangal Pandey	Jagdalpur	Jagdalpur	Bastar	As II Addl. District & Sessions Judge in the vacant court.
6.	Shri R. K. Rathi	Durg	Bilaspur	Bilaspur	As II Additional District & Sessions Judge in the vacant court.
7.	Shri A. K. Beck	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	As III Addl. District & Sessions Judge in the vacant court.
8.	Smt. Vimla Singh Kapoor.	Dhamtari	Dhamtari	Raipur	As Additional Judge to the Court for Addl. District & Sessions Judge, Dhamtari.
9.	Shri Amrit Lal Dahariy.	Raigarh	Raigarh	Raigarh	As II Addl. District & Sessions Judge in the vacant court.
10.	Shri Ganpat Rao	Sakti	Raipur	Raipur	As Additional Judge to the Court of I Addl. District & Sessions Judge, Raipur.

Bilaspur, the 11th January 2002

No. 265/Confdl./II-2-1/2002.—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the following Chief Judicial Magistrates/Additional Chief Judicial Magistrates as specified in column No. (2) of the table below, who have been appointed to Officiate as District Judges in Higher Judicial Service temporarily *vide* Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department, Raipur Order No. F 3 (A) 3/2002-XXI-B/D-19 dated 10-1-2002, from the place shown in column No. (3) to the place shown in the column No. (4) and posts them as Additional District Judge in the Fast Track Courts, established by the State Government under a scheme of the XI Finance Commission, as mentioned in column No. (6) from the date they assume charge of their duties, viz :—

In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints the following members of Higher Judicial Service as Additional Sessions Judge in the Sessions Division specified against their respective names in column No. (5) of the table below, viz. :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Remarks (6)
1.	Shri Ashok Kumar Goyal	Janjgir	Korba	Bilaspur	As II Additional District & Sessions Judge in the Fast Track Court.
2.	Shri Sanjay Sendray	Kawardha	Surajpur	Surguja	As II Additional District & Sessions Judge in the Fast Track Court.
3.	Shri Mansukh Karketta	Korba	Korba	Bilaspur	As III Additional District & Sessions Judge in the Fast Track Court.
4.	Shri Narsingh Usendi	Bemetara	Mungeli	Bilaspur	As II Additional District & Sessions Judge in the Fast Track Court.
5.	Shri Vijay Bhushan Singh	Rajnandgaon	Janjgir	Bilaspur	As II Additional District & Sessions Judge in the Fast Track Court.
6.	Shri Jerom Kujur	Dongargarh	Ambikapur	Surguja	As IV Additional District & Sessions Judge in the Fast Track Court.
7.	Shri Anthres Toppo	Dantewara	Surajpur	Surguja	As III Additional District & Sessions Judge in the Fast Track Court.
8.	Shri Nico Dious Ekka	Bilaspur	Janjgir	Bilaspur	As IV Additional District & Sessions Judge in the Fast Track Court.
9.	Shri Arun Kumar Pradhan.	Surajpur	Kanker	Bastar	As III Additional District & Sessions Judge in the Fast Track Court.
10.	Shri Blacious Toppo	Khairagarh	Kanker	Bastar	As IV Additional District & Sessions Judge in the Fast Track Court.

Bilaspur, the 11th January 2002

No. 267/Confdl./II-3-1/2002 (Pt. I).—In exercise of powers conferred by Article 235 of the Constitution of India read with Sub-section (1) of Section 8 and Sub-section (2) of Section 12 of the M.P. Civil Courts Act, 1958, the High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the following Civil Judges, Class-I & Judicial Magistrate First Class as specified in column No. (2) in the same capacity from the place shown at column No. (3) and posts them as Chief Judicial Magistrates /Additional Chief Judicial Magistrates at the place shown at column No. (4) from the date they assume charge of their duties, viz :—

In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) & (2) of Section 12 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints the following Civil Judges, Class-I as Chief Judicial Magistrates/Additional Chief Judicial Magistrates of Civil Districts shown in column No. 5 from the date they assume charge of their duties, viz :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	District H. Qrs. (5)	Remarks (6)
1.	Shri Ashok Kumar Potdar	Ambikapur	Korba	Bilaspur	As I Civil Judge, Class-I & Chief Judicial Magistrate *vice* Shri Mansukh Karketta.
2.	Shri Ravindra Kumar Shrivastava.	Bilaspur	Kanker	Bastar	As I Civil Judge, Class-I & Chief Judicial Magistrate *vice* Shri A.S. Chandel.
3.	Shri Tularam Churendra	Dharamjai-garh.	Dantewara	Bastar	As Civil Judge, Class-I & Chief Judicial Magistrate *vice* Shri Anthres Toppo.
4.	Smt. Rajni Dubey	Durg	Durg	Durg	As I Civil Judge, Class-I & Chief Judicial Magistrate *vice* Shri R. K. Rathi.
5.	Shri Neelam Chand Sankhla	Bilaspur	Maha-samund.	Raipur	As I Civil Judge, Class-I & Chief Judicial Magistrate *vice* Shri A. K. Gaikwad.
6.	Shri Naresh Kumar Chandrawanshi.	Ambagarh Chowki	Bilaspur	Bilaspur	As I Civil Judge, Class-I & Chief Judicial Magistrate *vice* Shri A. K. Beck.
7.	Shri Ravi Shankar Sharma.	Balod	Raigarh	Raigarh	As I Civil Judge, Class-I & Chief Judicial Magistrate *vice* Shri A. L. Dahariya.
8.	Shri Vijyendra Nath Pandey.	Raipur	Jagdalpur	Bastar	As I Civil Judge, Class-I & Chief Judicial Magistrate *vice* Shri S. M. Pandey.
9.	Shri Vinay Kumar Kashyap.	Bilaspur	Janjgir	Bilaspur	As I Civil Judge, Class-I & Chief Judicial Magistrate *vice* A. K. Goyal.
10.	Shri Deepak Kumar Tiwari.	Janjgir	Rajnandgaon	Rajnandgaon	As I Civil Judge, Class-I & Chief Judicial Magistrate *vice* Shri V. B. Singh.
11.	Shri Radha Kishan Agrawal.	Raipur	Raipur	Raipur	As I Civil Judge, Class-I & Chief Judicial Magistrate *vice* Shri Gautam Chouradia.
12.	Shri Govind Kumar Mishra.	Baloda-Bazar.	Dhamtari	Raipur	As I Civil Judge, Class-I & Chief Judicial Magistrate *vice* Smt. Vimla Singh Kapoor.
13.	Shri Nirmal Minj	Dhamtari	Surajpur	Surguja	As Civil Judge, Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate *vice* Shri A. K. Pradhan.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	Shri Makardhwaj Jagdalla	Katghora	Bemetara	Durg	As Civil Judge, Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate *vice* Shri Narsingh Usendi.
15.	Shri Sevak Ram Banjare	Korba	Dongargarh	Rajnandgaon	As Civil Judge, Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate *vice* Shri Jerom Kujur.
16.	Shri Agralal Joshi	Gariaband	Bilaspur	Bilaspur	As III Civil Judge, Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate vice Shri Ravindra Kumar Shrivastava.
17.	Shri Bhuneshwar Ram	Manendra-garh.	Sakti	Bilaspur	As Civil Judge, Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate *vice* Shri Ganpat Rao.
18.	Shri Ravi Shankar Sai	Mungeli	Raipur	Raipur	As VI Civil Judge, Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate *vice* Shri P. K. Dave.
19.	Shri Siprial Xess	Ramanuj-ganj.	Durg	Durg	As Additional Judge to the Court of I Civil Judge, Class-I, Durg & Additional Chief Judicial Magistrate *vice* Shri G. L. Sonwani.
20.	Shri Nand Kumar Singh Thakur.	Sukma	Khairagarh	Rajnandgaon	As Civil Judge, Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate *vice* Shri Blacious Toppo.

Note : The officers from serial No. 12 to 20 shall be entitled to draw the scale of Civil Judges-Selection Grade-cum-Chief Judicial Magistrates (CJMs/ACJMs) only on completion of 4 years service as Civil Judges-Senior Scale (Civil Judges, Class-I).

Bilaspur, the 11th d January 2002

No. 269/Confdl./II-3-1/2002 (Pt. II).—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India read with Sub-section (1) of section 8 and Sub-Section (2) of Section 12 of the M. P. Civil Courts Act, 1958, the High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the following Civil Judges, Class-I and Judicial Magistrates First Class as specified in column No. 2 from the place shown in column No. 3 in the same capacity and posts them at the place and post mentioned against their respective names in column No. 4 and 6 respectively from the date they assume charge of their duties, viz :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	District H. Qrs. (5)	Remarks (6)
1.	Shri Dayaram Dayal	Durg	Ambikapur	Surguja	As Additional Judge to the Court of Civil Judge, Cl.I, *vice* Shri A. K. Potdar.
2.	Shri Umashankar Mishra	Rajnand-gaon.	Sukma	Bastar	As Civil Judge, Class-I *vice* Shri N. K. S. Thakur.

Bilaspur, the 11th January 2002

No. 269-A/Confdl./II-3-1/2002 (Pt. II).—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India read with Sub-section (1) of Section 8 and Sub-section (2) of Section 12 of the M. P. Civil Courts Act, 1958, the High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the following Civil Judges, Class-II as specified in column No. 2 from the place shown in column No.3 and posts them as Civil Judges, Class-I after their appointment on promotion as Civil Judges Class-I at the place and post mentioned against their respective names in column No. 4 and 6 respectively from the date they assume charge of their duties, viz :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	District H. Qrs. (5)	Remarks (6)
1.	Shri Narendra Singh Chawla.	Pendra-Road	Bilaspur	Bilaspur	As II Civil Judge, Class-I *vice* Shri N. C. Sankhla.
2.	Smt. Minakshi Gondaley	Raipur	Raipur	Raipur	III Civil Judge, Class-I *vice* Shri R. D. Agrawal.
3.	Shri Ram Kumar Tiwari	Durg	Durg	Durg	II Civil Judge, Class-I *vice* Shri D. R. Dayal.
4.	Shri Jagdamba Rai	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	V Civil Judge, Class-I *vice* Shri V. K. Kashyap.
5.	Shri Arvind Kumar Verma.	Gharghora	Gharghora	Raigarh	As Additional Judge to the Court of I Civil Judge, Class-I, Raigarh at Gharghora.
6.	Shri Rajesh Kumar Shrivastava.	Durg	Durg	Durg	III Civil Judge, Class-I *vice* Smt. Rajni Dubey.
7.	Smt. Sushma Sawant	Raipur	Raipur	Raipur	V Civil Judge, Class-I *vice* Shri V. N. Pandey.
8.	Shri Doctorlal Katakwar	Durg	Durg	Durg	As Additional Judge to the Court of I Civil Judge-I, Durg.
9.	Shri Ramashankar	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	As II Additional Judge to the Court of I Civil Judge, Class-I, Bilaspur.
10.	Shri Resham Lal Kurre	Saraipali	Saraipali	Raipur	As Additional Judge to the Court of I Civil Judge, Class-I Raipur at Saraipali.
11.	Shri Vijay Kumar Ekka	Raipur	Raipur	Raipur	As I Additional Judge to the Court of I Civil Judge, Class-I, Raipur.
12.	Shri Rakesh Bihari Ghore	Raipur	Raipur	Raipur	As II Additional Judge to the Court of I Civil Judge, Class-I, Raipur.
13.	Shri Anand Kumar Dhruv	Sakti	Sakti	Bilaspur	As Additional Judge to the Court of Civil Judge, Class-I, Sakti.
14.	Shri Ganesh Ram Sande	Raipur	Raipur	Raipur	As III Additional Judge to the Court of I Civil Judge, Class-I, Raipur.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	Smt. Anita Dahariya	Raigarh	Raigarh	Raigarh	As Additional Judge to the Court of I Civil Judge, Class-I, Raigarh.
16.	Smt. Suman Ekka	Raipur	Raipur	Raipur	As IV Additional Judge to the Court of I Civil Judge, Class-I, Raipur.
17.	Shri Gokaran Singh Kunjam.	Katghora	Katghora	Bilaspur	As Civil Judge, Class-I *vice* Shri M. D. Jagdalla.
18.	Shri Phool Singh Penkra	Bemetara	Bemetara	Durg	As Additional Judge to the Court of Civil Judge, Class-I, Bemetara.
19.	Shri K. Vinod Kujur	Dhamtari	Dhamtari	Raipur	As II Civil Judge, Class-I *vice* Shri Nirmal Minj.
20.	Shri Rajendra Pradhan	Kondagaon	Kondagaon	Bastar	As Additional Judge to the Court of I Civil Judge, Class-I, Jagdalpur at Kondagaon.

Bilaspur, the 11th January 2002

No.270/Confdl./II-3-1/2000 (Pt. I).—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the following Additional Chief Judicial Magistrate as specified in column No. (2) in the same capacity from the place shown at column No. (3) and posts him as Chief Judicial Magistrate at the place shown at column No. (4) from the date he assumes charge of his duties, viz :—

In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 12 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints the following Civil Judge, Class-I as Chief Judicial Magistrate of Civil District shown in column No. 5 from the date he assumes charge of his duties, viz :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	District H. Qrs. (5)	Remarks (6)
1.	Shri Gorelal Sonwani	Durg	Kawardha	Rajnandgaon	As I Civil Judge, Class-I & Chief Judicial Magistrate *vice* Shri Sanjay Sendray.

Bilaspur, the 11th January 2002

No. 270-A/Confdl./II-3-1/2002 (Pt. III).—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India read with Sub-section (1) of Section 8 and Sub-section (2) of Section 12 of the M. P. Civil Courts Act, 1958, the High Court of Chhattisgarh, hereby transfers the following Civil Judges, Class-II as specified in column No. 2 from the place shown in column No. 3 in the same capacity and posts him at the place and post mentioned against his name in column No. 4 and 6 respectively from the date he assumes charge of his duties, viz :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	District H. Qrs. (5)	Remarks (6)
1.	Shri Vinod Kumar Dewangan.	Raigarh	Ambagarh Chowki.	Rajnandgaon	As Additional Judge to the Court of I Civil Judge, Class-II, Rajnandgaon at Ambagarh Chowki.

Bilaspur, the 14th January 2002

No. 294/Confdl./II-2-90/2002 .—In exercise of the powers conferred by Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Chief Justice, hereby, appoints Shri Binay Kumar Shrivastava, District Judge (Vigilance), Bilaspur, as Registrar General, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur and Shri T. K. Jha, Registrar General, High Court of Chhattisgarh, as Registrar (Vigilance) High Court of Chhattisgarh, Bilaspur form the date they assume charge of their duties.

Bilaspur, the 16th January 2002

No. 378/Confdl./II-3-1/2002 (Pt. II).—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the following Civil Judge, Class-I and Judicial Magistrates First Class as specified in column No. 2 from the place shown in column No. 3 in the same capacity and posts them at the place and post mentioned against their respective names in column No. 4 and 6 respectively from the date they assume charge of their duties, viz :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	District H. Qrs. (5)	Remarks (6)
1.	Shri Dayaram Dayal	Ambikapur	Ramanuj-ganj.	Surguja	As Civil Judge, Class-I *vice* shri Siprial Xess.
2	Shri Ramashankar	Bilaspur	Mungeli	Bilaspur	As Civil Judge, Class-I *vice* Shri R. S. Sai.
3.	Shri Lochan Ram Thakur	Raigarh	Dharamjai-garh.	Raigarh	As Additional Judge to the Court of I Civil Judge, Class-I, Raigarh at Dharamjaigarh.

Bilaspur, the 16th January 2002

No.381/Confdl./II-2-99/2002.—On the application dated 6-12-2001 of Shri Dilip Bhatt, Special Judge, Bilaspur requesting for change of his home District, Hon. the Chief Justice has been pleased to grant permission to change his home District from Raipur to Rajnandgaon with a direction that necessary changes be effected in all his records.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
T. K. JHA, Registrar General.

Bilaspur, the 23rd January 2002

No.572/Q-2/RG-Adm./2002.—Pursuant to notification No. K. 13030/1/2002-US-II dated 9th January, 2002, issued by Joint Secretary, Government of India, Ministry of Law, Justice and Company affairs (Department of Justice), New Delhi, the Hon'ble Shri Justice Fakhruddin has assumed the charge of the office of the Chief Justice (Acting) of the High Court of Chhattisgarh in the forenoon of January 20, 2002.

By Order,
B. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.